भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2259

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

प्रदूषण मानकों का मूल्यांकन

2259. श्री उमेश जी जाधव:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी के किनारे स्थित उद्योगों के प्रदूषण मानकों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जहां उद्योगों ने प्रदूषण मानकों का अनुपालन नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रदूषण सीमाओं और अनुपालन मानकों पर उद्योगों को कोई परामर्श जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) जी, हां। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों के मुख्य क्षेत्र पर स्थित अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू की गई सहमति शर्तें और उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानकों के संबंध में उनके द्वारा अनुपालना की जांच के लिए सीपीसीबी/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीसीबी) नियमित आवृत्ति पर निगरानी करते हैं।

बहिस्रोव गुणवत्ता और अनुपालना स्थिति के आकलन के लिए सीपीसीबी ने ऑनलाइन सत बहिस्रोव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना के निर्देश जारी किए हैं। अनुपालना न करने की स्थिति पर एसएमएस अलर्ट द्वारा सीपीसीब /एसपीसीबी/उद्योग/स्थानीय प्रशासन (डीएम कार्यालय) के साथ साझा की जाती है।

इसले अलावा, गंगा वाले 5 राज्यों में स्थित 5 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों नामतः डिस्टिलरी, लुगदी एवं कागज, चीनी, वस्त्र एवं चमड़ा उद्योगों के लिए निर्धारित मानकों (गुणवत्ता और परिमाण) के पालन हेतु बहिस्रोव परिशोधन संयंत्र के उन्नयन/संशोधन सहित जल संरक्षण/जल के पुनः प्रयोग, प्रक्रिया संशोधन के कार्यान्वयन और क्लीनर तकनीकों को अपनाने के उपाय भी शुरू किए गए हैं। सीपीसीबी ने लुगदी एवं कागज , डिस्टिलरी, चीनी और वस्त्र उद्योग क्षेत्र के लिए विनिर्माणकारी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के उन्नयन, ईटीपी प्रणाली और बेहतर पद्धतियों को अपनाने के लिए चार्टर/कार्य योजना तैयार की गई है। इन चार्टरों के प्रभावी कार्यान्वयन में विशेषज्ञ संस्थान, उद्योग संघ और राज्य सरकार के विभाग जुटे हुए हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2017 से अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का यथा-आवश्यक तीसरे पक्ष के तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रदूषण मानकों तथा प्रक्रिया संशोधन संबंधी अनुपालन की जांच के लिए वार्षिक आधार पर निरीक्षण भी किया जाता है केंद्रीय /राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों, जिनका अपशिष्ट जल गंगा नदी की मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों (काली-पूर्व और रामगंगा) में गिरता है और जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन सतत बहिस्रोव निगरानी प्रणाली (ओसीईएम) से नहीं जुड़े हैं, के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।

वर्ष 2018 में, 12 संस्थानों ने अप्रैल-जुलाई 2018 के दौरान संबंधित एसपीसीबी और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन/जिला गंगा समिति के साथ मिलकर अत्यधिक प्रदूषणकारी 961 उद्योगों का निरीक्षण किया था। वर्ष 2018 में किए गए 961 निरीक्षणों में से (952 तीसरे पक्ष के तकनीकी संस्था द्वारा + 9 सीपीसीबी द्वारा) 636 अनुपालन कर रहे हैं और 110 अनुपालन नहीं कर रहे हैं तथा 215 उद्योग स्वतः बंद हो गए हैं। अनुपालन न कर रहे 110 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 110 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत बंद कर देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

वर्ष 2019-20 में सीपीसीबी ने दोबारा से सूची बनाने के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा पर 1072 पूर्ण प्रदूषणकारी उद्योग चिह्नित किए हैं। इन 1072 अत्यधिक उद्योगों का निरीक्षण तीसरे पक्ष के 17 तकनीकी संस्थानों द्वारा अप्रैल, 2019 में शुरू किया गया है। 24.06.2019 तक 316 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण पूरा हो गया है।

*****